मैनुअल–23

नागरिक चार्टर और नागरिक या ग्राहक चार्टर की समीक्षा के लिए टास्कफोर्स की बैठक का विवरण।

CITIZENS CHARTER AND MINUTES OF MEETING OF THE TASKFORCE FOR REVIEWING OF CITIZEN OR CLIENTS CHARTER

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
23	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011	03—12

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनॉक 04 अप्रैल, 2022

विषयः– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचा संख्याः 598/XLIII/20–15(06)–2016 दिनॉक 27 नवम्बर, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की कतिपय सेवाऐं के साथ–साथ निम्न सेवाओं को अधिसूचित किया गया हैः–

1. दैवीय आपदा में पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को मृत पशु का शव परीक्षण/मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करना।

2. वेट्रीलीगल केस में सक्षम को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना (Animal Health Certificate)।

3. वेट्रीलीगल केस में पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को शव परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करना है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु आवेदक को निकटतम पशुचिकित्साधिकारी को निर्धारित संलग्न प्रारूप ''क'' के अनुसार आवेदन करना होगा तथा संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सेवा का अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में संलग्न प्रारूपों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैंः–

1 दैवीय आपदा पर पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को मृत पशु का शव परीक्षण/मृत्यु प्रामण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय प्रक्रियाः–

(1) सर्वप्रथम आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में तथा पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित लेवी शुल्क जमा कर लिखित रूप में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक राजस्व विभाग के अधिकारी नायब तहसीलदार से कम का अधिकारी न हो, होगा।

(3) शव–परीक्षण दिन के समुचित प्रकाश में किया जायेगा।

(4) शव–परीक्षण पुलिस या राजस्व पुलिस की सुरक्षा में किया जायेगा।

(5) शव–परीक्षण स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति/मीडिया इत्यादि का प्रवेश वर्जित होगा।

(6) पशुचिकित्साधिकारी द्वारा यह भी निर्धारित किया जायेगा कि वह स्थान जहॉ पर शव परीक्षण किया जाना है उचित स्थान है या नहीं। शव–परीक्षण का स्थान सुविधाजनक तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।

(7) दैवीय आपदा प्रकरणों में आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र तथा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(8) पशु परीक्षण उपरान्त पशुचिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक को शव–परीक्षण रिपोर्ट या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु परीक्षण के अधिकतम 03 दिन बाद जारी कर दिया जायेगा। यह रिपोर्ट/प्रमाण पत्र विशेष परिस्थितियों में तत्काल या पशुचिकित्साधिकारी के विवेकानुसार तीन दिन के अन्दर दिया जा सकता है।

(9) दैवीय आपदा प्रकरणों में पशु शव परीक्षण सम्भव न होने की दशा में पशुचिकित्साधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलबध कराया जायेगा।

(10) दैवीय आपदा प्रकरणों में पशु मृत्यु प्रमाण पत्र/शव परीक्षण रिपोर्ट पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु शव उपलब्धता की दशा में ही जारी की जायेगी। दैवीय आपदा की स्थिति में पशु शव दुरूह तथा विकट/न पहुॅचने योग्य घटना स्थल पर होने की दशा में स्थानीय प्रशासन द्वारा पशु शव पशुचिकित्सा अधिकारी को यदि सम्भव हो तो उपलब्ध कराया जायेगा तदैव अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, पशु शव उपलब्ध न होने की दशा में पशुचिकित्साधिकारी शव परीक्षण रिपोर्ट न जारी करते हुये स्थानीय प्रशासन की

पहचान/आख्या/रिपोर्ट के आधार पर तथा पशु के टैग संख्या के आधार पर पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त मृत्यु पत्र जारी कर सकेगा।

(2) वेट्रोलीगल केस में सक्षम को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में विभागीय प्रक्रियाः–

1) सर्वप्रथम आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में तथा पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित लेवी शुल्क जमा कर लिखित रूप में आवेदन करेगा।

2) आवेदक पुलिस का अधिकारी उप निरीक्षक रैंक (SI)/वन विभाग में रेंज ऑफिसर या प्रभागीय वनाधिकारी से कम पद का न हो या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/राजस्व क्षेत्रों में नायब तहसीलदार से कम का न हो।

3) पशु स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पशुचिकित्साधिकारी आवेदक के अनुरोध पर जायेगा। पशु स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त पशु का रखरखाव करने हेतु आवेदक उत्तरदायी होगा। सम्बन्धित पशु के रख रखाव हेतु आवेदक को स्वंय व्यवस्था करनी होगी तथा परिवहन की सुविधा आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4) पशु स्वास्थ्य परीक्षण दिन के समुचित प्रकाश में किया जायेगा।

5) पशु स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस या वन विभाग की सुरक्षा में किया जायेगा।

6) पशु स्वास्थ्य परीक्षण स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति/मीडिया इत्यादि का प्रवेश वर्जित होगा।

7) वेट्रोलीगल मामलों में आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रोजनामचा न0/FIR संख्या/केस संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना रोजनामचा न0/FIR संख्या/केस संख्या के पशु स्वास्थ्य परीक्षण नही किया जायेगा।

8) पशु स्वास्थ्य परीक्षण के आवेदन के साथ आवेदक को पुलिस रिपोर्ट/केस रिपोर्ट/एफ.आई.आर. की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।

9) पशुचिकित्साधिकारी द्वारा यह भी निर्धारित किया जायेगा कि वह स्थान जहॉ पर स्वास्थ्य परीक्षण का स्थान सुविधाजनक तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होगा चाहिए।

10) पशु स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त पशुचिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु स्वास्थ्य परीक्षण के अधिकतम 03 दिन बाद जारी कर दिया जायेगा। यह प्रमाण पत्र विशेष परिस्थितियों में तत्काल यह पशुचिकित्साधिकारी के विवेकानुसार तीन दिन के अन्दर भी दिया जा सकता है।

11) पशु यदि दुरूह तथा विकट/न पहॅुचने योग्य घटना स्थल पर है तो पशु को स्थानीय प्रशासन द्वारा पशुचिकित्साधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पशु की उपलब्धता पर ही पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

(3) वेट्रोलीगल केस में पशु शव की उपलब्धता पर सक्षम को शव परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में विभागीय प्रक्रिया :–

1) सर्वप्रथम आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में तथा पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित लेवी शुल्क जमा कर लिखित रूप में आवेद करेगा।

2) आवेदक पुलिस का अधिकारी उप निरीक्षक रैंक (SI)/वन विभाग में रेंज ऑफिसर या प्रभागीय वनाधिकारी से कम पद का न हो या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/राजस्व क्षेत्रों में नायब तहसीलदार से कम का न हो।

3) शव–परीक्षण सीधे जिलाधिकारी के आदेश होने की स्थिति में किया जा सकता है।

4) शव–परीक्षण हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी को पशु शव उपलब्ध कराना होगा तथा शव परीक्षण उपरान्त पशु शव पशुचिकित्साधिकारी से निस्तारण हेतु प्राप्त करना होगा।

5) वेट्रोलीगल मामलों में आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रोजनामचा नं0/FIR संख्या/केस संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना रोजनामचा नं0/FIR संख्या/केस संख्या/केस संख्या के शव–परीक्षण नहीं किया जायेगा।

6) शव–परीक्षण दिन के समुचित प्रकाश में किया जायेगा।

7) शव–परीक्षण पुलिस या वन विभाग की अभिरक्षा में किया जायेगा।

8) शव–परीक्षण स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति/मीडिया इत्यादि का प्रवेश वर्जित होगा।

9) शव परीक्षण की वीडियोग्राफी जिलाधिकारी के लिखित आदेश के उपरान्त ही की जायेगी।

10) शव परीक्षण के आवेदन के साथ आवेदक को पुलिस रिपोर्ट/केस रिपोर्ट/एफ.आई.आर. की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।

12) पशुचिकित्साधिकारी द्वारा यह भी निर्धारित किया जायेगा कि वह स्थान जहॉ पर शव परीक्षण किया जाना हे उचित स्थान है या नही। शव–परीक्षण का स्थान सुविधाजनक तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।

13) वन विभाग के प्रकरणों में अनुसूची 01 में सम्मिलित पशुओं के शव परीक्षण हेतु कम से कम दो पशुचिकित्साधिकारी की आवश्यकता होगी।

14) आवेदक सर्वप्रथम क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी को आवदेन करेगा। आवश्यकतानुसार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अन्य पशुचिकित्साधिकारी को संयुक्त रूप से शव परीक्षण करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

15) पशु परीक्षण उपरान्त पशुचिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक को शव–परीक्षण रिपोर्ट पशु परीक्षण के अधिकतम 03 दिन बाद जारी कर दिया जायेगा। यह प्रमाण पत्र विशेष परिस्थितियों में तत्काल या पशुचिकित्साधिकारी के विवेकानुसार तीन दिन के अन्दर भी दी जा सकती है।

16) पशु शव/दुरूह तथा विकट/न पहुॅचने येाग्य घटना स्थल पर होने की दशा में स्थानीय प्रशासन द्वारा पशु शव पशुचिकित्साधिकारी को यदि सम्भव हो तो उपलब्ध कराया जायेगा तदैव अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4. सेवा का अधिकारी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।

5. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या : 212/212 (1)/XV-1/21-1(18)/2017 तद्‌दिनॉक।

1. अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या 846/XXX(6)/21–20(01)2021 दिनॉक 24 नवम्बर, 2021 के क्रम में।

2. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उनके उक्तांकित पत्र के क्रम में।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सू0प्रौ0सुराज एवं वि0 मौ0 अनु0–03
संख्याः **198/XXX(6)/2022-20(02)21**
देहरादून दिनॉक 20 जून, 2022

<u>अधिसूचना</u>

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लातें हुए, राज्य संरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलबध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0–1337/XXXI(13)/G/2011 दिनॉक 28.10.2011 सं0–144/XXX(6)/19-20(04)16, दिनॉक 22.11.2019 सं0–161/XXX(6)/19-20(04)16 दिनॉक 12.12.2019 एवं 803/XXX(6)/21-20(02)21, दिनॉक 12.11.2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् संशोधित कर अधिसूचित किया जाता हैः–

पशुपालन विभागः–

1	पशु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	संबधित पशु चिकित्सालय पर पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी	06 दिवस	संबंधित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	संबंधित जनपद का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

3. उक्त सेवाओं से सम्बन्धित पूर्व निर्गत अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।
4. सेवा का अधिकार अधिनिमय, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
5. सेवा का अधिकार अधिनिमय, 2011, के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति दिवस से मानी जायेगी।

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव,

संख्याः **I/160066/E-17505/2023/ XXXIV(3)/-20(02)21** तद् दिनॉकित।
प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलबध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या **596/XLIII(I)16-20(04)/2016** दिनॉक 31 मई, 2016 के द्वारा पशुपालन विभाग की अधिसूचित सेवायें

क्र.सं.	सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने की अवधि	सेवा का माध्यम (ऑनलाइन/ऑफ लाइन)	पदाभिहित अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	पशु बीमा हेतु स्वस्थता प्रमाण पत्र (Animal Fitness Ceritificate)	07 कार्य दिवस	ऑनलाइन हेतु कार्यवाही गतिमान	सम्बन्धित क्षेत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
2	बीमित पशु के शव की परीक्षण जांच रिपोर्ट (पशु शव की उपलब्धता पर) जारी करना	07 कार्य दिवस	ऑनलाइन हेतु कार्यवाही गतिमान		
3	दैवीय आपदा में पशु शव की उपलबधता पर सक्षम को मृत पशु का शव परीक्षण/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी	07 कार्य दिवस			
4	वेट्रोलीगल केस में सक्षम को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Animal Health Ceritificate)जारी करना	07 कार्य दिवस			
5	वेट्रोलीगल केस में पशु शव को उपलब्धता पर सक्षम को शव परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करना	07 कार्य दिवस			
6		07 कार्य दिवस			

शासनादेश संख्या **I/124714/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21** दिनॉक 25 मई, 2016 के द्वारा पशुपालन विभाग की अधिसूचित सेवायें

क्र.सं.	सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने की अवधि	सेवा का माध्यम (ऑनलाइन/ऑफ लाइन)	पदाभिहित अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गाय/भेड़/बकरी पालन के लाभार्थी के चयन के पश्चात् बैंक खतो में अनुदान धनराशि का प्रेषण	15 दिवस	ऑनलाइन	सम्बन्धित क्षेत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
2	बीमार पशुओं की पशु चिकित्सालय में उपलब्धता पर पशुचिकित्सा	उसी कार्य दिवस में	ऑनलाइन		
3	पशु चिकित्सालय में गर्मी आये पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान	उसी कार्य दिवस में	ऑनलाइन		

उत्तराखण्ड शासन
सू0प्रौ0सुराज एवं वि0 मौ0 अनु0–03
संख्याः **I/124714/E-17505/2023/ XXXIV(3)/-20(02)21**
देहरादून दिनॉक 25 मई, 2023

<u>अधिसूचना</u>

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लातें हुए, राज्य संरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलबध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त डी0बी0टी0 से समबन्धित निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायं प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः–

पशुपालन विभागः–

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गाय/भेड़/बकरी पालन में लाभार्थी के चयन के पश्चात् बैंक खाते में अनुदान धनराशि का प्रेषण	पशु चिकित्सा अधिकारी	15 दिवस	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	बीमा पशुओं की पशु चिकित्सालय में उपलब्धता पर पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सा अधिकारी	उसी दिवस में	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
3	पशु चिकित्सालय में गर्मी आये पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान	पशु चिकित्सा अधिकारी	24 घण्टे	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनिमय, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(डॉ विजय कुमार
जोगदाण्डे)
अपर सचिव,

संख्याः **I/160066/E-17505/2023/ XXXIV(3)/-20(02)21** तद् दिनॉकित।
प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलबध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मिनी जोशी)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन

सू0प्रौ0सुराज एवं वि0 मौ0 अनु0–03

संख्याः **I/160066/E-17505/2023/ XXXIV(3)/-20(02)21**

देहरादून दिनॉक 09 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लातें हुए, राज्य संरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलबध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त डी0बी0टी0 से सम्बन्धित निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायं प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः–

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन)
1	पशु चिकित्सालय पर निर्धारित कार्य दिवस तथा कार्य समय पर टीकाकरण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाइन
2	पशु पालक के द्वार पर टीकाकरण (अभियान के दौरान)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	पशु चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर पशु चिकित्सालय पर बधियाकरण (बैल, बकरा, भैंसा, मेंढा)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	24 घण्टे के अन्दर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	पशु चिकित्सधिकारी की अनुशंसा पर पशु चिकित्सालय पर रोग अन्वेषण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	जॉच अवधि के अनुरूप	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	पशु चिकित्सालय पर पशुओं का दवापान	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

		ग्रेड–1 / ग्रेड–2				
7	पशु चिकित्साधिकारी की अनुंशसा पर एक्सरे / अल्ट्रासाउण्ड (केवल चयनित चिकित्सालयों पर)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	निर्धारित प्रारूप पर भेड़–बकरी पालकों का पंजीकरण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	15 दिवस	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनिमय, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(डॉ विजय कुमार जोगदाण्डे)
अपर सचिव,

संख्याः I/160066/E-17505/2023/ XXXIV(3)/-20(02)21 तद् दिनॉकित।
प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलबध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मिनी जोशी)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सू0प्रौ0सुराज एवं वि0 मौ0 अनु0–03
संख्या: **I/187490/E-29664/2024/ XXXIV(3)/-20(02)21TC**
देहरादून दिनॉक 05 फरवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लातें हुए, राज्य संरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलबध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त डी0बी0टी0 से सम्बन्धित निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायं प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:–

2 पशुपालन विभाग :

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	भेड़ पालन योजना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	आवेदन स्वीकृत होने से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलबधता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलबधता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है।	मण्डलीय अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकारी आयोग
2	महिला बकरी पालन योजना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	आवेदन स्वीकृत होने से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलबधता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलबधता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है।	मण्डलीय अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकारी आयोग
3	गौ पालन योजना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	आवेदन स्वीकृत होने से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलबधता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलबधता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है।	मण्डलीय अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकारी आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना, कार्य दिवस के रूप में होगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों के निस्पन्दन (फिल्ट्रेशन) में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वांत का अनुपालन किया जायेगा।
5. आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित सूचना निश्चित समयान्तर्गत सम्यक् माध्यम (एस0एस0एस0, ई–मेल इत्यादि) से आवेदन को प्रेषित की जायेगी तथा ऑफ लाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति का तिथिवार रिकार्ड संरक्षित किया जाएगा।
6. उपरोल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

(डा0 आशीश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव